न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2024-168(GCMS2024-410)

1. तखतसिंह पुत्र अचलसिंह के कायममुकामान-
   1.1. भंवरसिंह पुत्र तखतसिंह
   1.2. जसवन्तसिंह पुत्र तखतसिंह
   1.3. रूपकंवर पत्नी तखतसिंह
   1.4. पवनकंवर पुत्री तखतसिंह
2. गुमानसिंह पुत्र अचलसिंह
3. लखसिंह पुत्र अचलसिंह
4. दलपतसिंह पुत्र अचलसिह के कायममुकामान-
   4.1. चन्द्रसिंह पुत्र दलपतसिंह
   4.2. स्वरूपसिंह पुत्र दलपतसिंह
   4.3. गंगाकंवर पुत्री दलपतसिंह
   4.4. रूपकंवर पत्नी दलपतसिंह
5. मोहनसिंह पुत्र अचलसिंह के कायममुकामान-
   5.1. पदमकंवर पत्नी मोहनसिंह
   5.2. हीरसिंह पुत्र मोहनसिंह
   5.3. देवीसिंह पुत्र मोहनसिंह
   5.4. कंवरसिंह पुत्र मोहनसिंह
   5.5. हवाकंवर पुत्री मोहनसिंह
6. भंवरसिंह पत्नी गजेसिंह
7. कल्पना पत्नी भीमसिंह

   निवासी हापासर, तहसील सेखाला
   जिला जोधपुर ग्रामीण

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. ओमाराम पुत्र जालाराम
2. खेमाराम पुत्र जालाराम
3. पप्पाराम पुत्र जालाराम
4. गिरधर पुत्र जालाराम
5. गुलाब पुत्र जालाराम (अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता जालाराम)
6. जालाराम पुत्र आदूराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निवासी ग्राम भाण्डू चारणान
तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
7. राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार सेखाला
जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी दिनांक 17 सितम्बर 2024 न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर राजस्व वाद संख्या 2019/00027 तखतसिंह व अन्य बनाम ओमाराम आदि

उपस्थित-
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री महेश मेहता, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 6
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. 7

नि र्ण य

दिनांक : 05 नवम्बर 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 2019/00027 तखतसिंह व अन्य बनाम ओमाराम आदि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 17 सितम्बर 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 24 सितम्बर 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53, 188 व 92ए के तहत एक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व वाद ग्राम हापासर (देडा) स्थित आराजी खसरा संख्या 509 रकबा 17 बीघा 07 बिस्वा व खसरा संख्या 496 रकबा 81 बीघा 07 बिस्वा कुल रकबा 98 बीघा 15 बिस्वा बारानी दोयम में वक्त सेटलमेण्ट एवं जागीर के समय से अपना ⅔ हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का ⅓ हिस्सा होना जाहिर करते हुए तदनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद 23 मई 2006 को खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 71/2006 दिनांक 04 जून 2008 को खारिज की गयी। द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो दिनांक 28 दिसम्बर 2016 को आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। तदनुसार विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद पुनः संस्थित किया गया और जरिये अपीलाधीन निर्णय एंव डिकी दिनांक 17 सितम्बर 2024 को खारिज कर दिया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए जाहिर किया कि वक्त सेटलमेण्ट वादग्रस्त आराजियात ⅔ हिस्सा वादीगण तथा ⅓ हिस्सा प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी, मगर राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त सम्पूर्ण भूमि धर्मिया (प्रतिवादीगण के पूर्वज) के नाम दर्ज कर दी गयी। संवत 2012 में सेटलमेण्ट मिसल बंदोबस्त में जागीरदार के कॉलम में वादीगण व कृषक धर्मिया अंकित है। खसरा गिरदावरी संवत 2014-2017 में भी वादीगण का वादग्रस्त भूमि में ⅔ हिस्से पर काश्त दर्ज है। उल्लेखनीय है कि संवत 2019 तक खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गिरदावरी में इन्द्राजात मौके पर वास्तविक कब्जा काश्त के आधार पर ही किये जाते रहे है, संवत 2019 के बाद जमाबंदी की प्रविष्टियों के आधार पर खसरा गिरदावरी में इन्द्राजात होने से उनमें वादीगण-अपीलाण्ट्स की काश्त दर्ज नहीं हो पायी। जबकि मौके पर वादग्रस्त भूमि के ⅔ हिस्से पर वादीगण-अपीलाण्ट्स का कब्जा काश्त लगातार रहा और इसी अनुसार बीगोडी भी वादीगण-अपीलाण्ट्स द्वारा जमा करायी जाती रही है। विचारण न्यायालय में वादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज लिखत इकरारनामा दिनांक 29 जून 1974 में वादग्रस्त भूमि में वादीगण-अपीलाण्ट्स का ⅔ हिस्से पर कब्जा होना प्रतिवादीगण की ओर से स्वीकार किया गया है। अदालत हाजा द्वारा भी पूर्व में अपील प्रकरण में तलब की गयी मौका रिपोर्ट के अनुसार भी मौके पर वादीगण-अपीलाण्ट्स का वादग्रस्त भूमि के ⅔ हिस्से पर कब्जा काश्त होना प्रकट होता है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 की समुचित विवेचना किये बिना ही वादीगण-अपीलाण्ट्स का दावा खारिज करने में विधिक त्रुटि की गयी है, धारा 42 के प्रावधानानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के पक्ष में सन् 1965 के बाद किये गये बेचान/हस्तान्तरण को प्रारम्भ से ही शून्यप्रभावी माना गया है, उक्त अवधि से पूर्व अर्थात के प्रकरणों में ऐसे बेचान/हस्तान्तरण को शून्यकरणीय माना गया है। आलौच्य मामले में ऐसे किसी प्रकार के बेचान अथवा हस्तान्तरण का मामला नहीं है अपितु वक्त सेटलमेण्ट के पूर्व से ही वादग्रस्त आराजी का ⅔ हिस्सा वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त का चला आ रहा है, मात्र खातेदारी अधिकारों की घोषणा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

का बिन्दु ही विनिश्चित किया जाना है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद 23 मई 2006 को खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 71/2006 दिनांक 04 जून 2008 को खारिज की गयी। किन्तु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील दिनांक 28 दिसम्बर 2016 को आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को मामले में वास्तविक विवाद बिन्दु कायम करने एवं उभयपक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जाकर साक्ष्य समर्थित रीजण्ड व स्पीकिंग निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। मगर विचारण न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के उक्त निर्देशों की समुचित पालना किये बिना एवं कोई विवाद बिन्दु कायम किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए वादीगण-अपीलाण्ट्स का दावा पुनः खारिज कर दिया गया। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन किया और कथन किया कि आलौच्य मामले में प्रतिवादीगण-रेस्पो. की ओर से कोई जबाबदावा पेश नहीं हुआ, इस कारण प्रकरण में तनकियात कायम किया जाना सम्भव नहीं है। वादीगण-अपीलाण्ट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि बाबत खसरा गिरदावरी संवत 2013 से 2019 की प्रविष्टियों एवं सन् 1974 में एक रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखित इकरारनामे के आधार पर वादग्रस्त भूमि के ⅔ हिस्से पर अपना मालिकाना हक जता रहे है जो उचित नहीं है क्योंकि खातेदारी अधिकारों का विनिश्चयन खसरा गिरदावरी की बजाय मिसल बंदोबस्त के आधार पर होता है, और

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आलौच्य मामले में मिसल बंदोबस्त के अनुसार वादीगण-अपीलाण्ट्स का वादग्रस्त भूमि पर कोई हक-हिस्सा साबित नहीं होता है। जो सन् 1974 की लिखत/इकरारनामा पेश किया गया, वह मान्य नहीं है क्योंकि प्रतिवादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है। अधिवक्ता-रेस्पो. ने यह भी जाहिर किया कि विचारण न्यायालय मे वादीगण-रेस्पो. द्वारा आलौच्य दावा सन्1995 में प्रस्तुत किया गया, जो अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने की वजह से भी खारिज किये जाने योग्य है। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपनी बहस के समर्थन में त्रिवेणी श्याम शर्मा बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यु व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27 अगस्त 1964, 2009 आरआरडी 272 एवं 2007 आरआरडी 676 उद्धरित करते हुए अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदनुसार खारिज किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में वादीगण-अपीलाण्ट्स द्वारा वक्त सेटलमेण्ट के पूर्व से वादग्रस्त भूमि का ⅔ हिस्सा अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त का होना तथा बकाया ⅓ हिस्सा प्रतिवादीगण-रेस्पो. की खातेदारी एवं कब्जे काश्त का होना मगर वक्त सेटलमेण्ट सहवन से सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण-रेस्पो. के पूर्वज की खातेदारी में दर्ज जाहिर किया गया है। पूर्व में विचारण न्यायालय द्वारा दावा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 23 मई 2006 को खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 71/2006 दिनांक 04 जून 2008 को खारिज की गयी। किन्तु माननीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील दिनांक 28 दिसम्बर 2016 को आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को मामले में वास्तविक विवाद बिन्दु कायम करने एवं उभयपक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जाकर साक्ष्य समर्थित रीजण्ड व स्पीकिंग निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। अपने निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह धारित किया गया कि -

".... प्रकरण में परीक्षण मुख्यतया इसी बिन्दु पर किया जाना अपेक्षित था कि क्या भू-प्रबन्ध से पूर्व और जागीर रिजम्पशन के वक्त वादीगण का कब्जा काश्त था या नहीं? क्या इस आधार पर वादीगण को किसी प्रकार के हकूक प्राप्त होते है या नहीं?.."

यद्यपि मामले में प्रतिवादीगण-रेस्पो. जरिये अधिवक्ता विचारण न्यायालय में उपस्थित आये है, किन्तु उनकी ओर से कोई जबाबदावा प्रस्तुत नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में कोई विवाद बिन्दु कायम नहीं किये गये। मगर माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार सेटलमेण्ट के पूर्व वादग्रस्त भूमि बाबत वादीगण-अपीलाण्ट्स के अधिकारों एवं कब्जे काश्त बाबत वादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं खसरा गिरदावरी की नकलों बाबत विचारण न्यायालय द्वारा विवेचन करते हुए अपीलाधीन निर्णय में यह अंकित किया गया है कि - **"... प्रकरण का वास्तविक विवाद बिन्दु वादग्रस्त आराजी के ⅔ हिस्से के संबंध में, जिस पर वादीगण अपना मालिकाना हक जाहिर कर रहे है परन्तु वक्त जागीरी उक्त सम्पूर्ण भूमि धर्मिया के नाम दर्ज की गई। धर्मिया के देहान्त के पश्चात धर्मिया की पत्नी अमीया के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की गयी। राजस्व रेकर्ड के अनुसार उक्त प्रश्नगत भूमि पर धर्मिया का मालिकाना हक था।... " इस प्रकार राजस्व रेकर्ड के परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण-रेस्पो. की खातेदारी भूमि मानते हुए विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से साक्ष्य में प्रस्तुत भंवरसिंह, नारायणसिंह व 3 जबरसिंह के शपथपत्रों, कुछ वर्षों की खसरा गिरदावरी में वादीगण-अपीलाण्ट्स का वादग्रस्त भूमि के ⅔ हिस्से पर कब्जा दर्ज होने तथा सन् 1974 की लिखत के आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि बाबत सवर्ण व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के प्रावधानों के प्रतिकूल मानते हुए वादीगण-अपीलाण्ट्स का वाद खारिज कर दिया गया। जो अदालत हाजा की विनम्र राय में अधिवक्ता-रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27 अगस्त 1964, 2009 आरआरडी 272 एवं 2007 आरआरडी 676) के आलोक में सही पाया जाता है।

अदालत हाजा अधिवक्ता-रेस्पो. के इस कथन से भी सहमत है कि खातेदारी अधिकारों का विनिश्चयन खसरा गिरदावरी की बजाय मिसल बंदोबस्त के आधार पर होता है, और आलौच्य मामले में मिसल बंदोबस्त के अनुसार वादीगण-अपीलाण्ट्स का वादग्रस्त भूमि पर कोई हक-हिस्सा साबित नहीं होता है। यदि अपीलाण्ट्स के अनुसार सेटलमेण्ट के दौरान मिसल बंदोबस्त में वादग्रस्त भूमि बाबत गलत प्रविष्टियां हुई तो उसके परिमार्जन हेतु नियमानुसार अपीलाण्ट्स की ओर से संबंधित सक्षम अधिकारी के सक्षम क्या कार्यवाही की गयी और उसका क्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

परिणाम रहा, यह भी वादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है।

सन् 1974 की लिखत/इकरारनामा के आधार पर भी वादीगण-अपीलाण्ट्स को वादग्रस्त भूमि बाबत कोई अधिकार उपलब्ध नहीं होते है क्योंकि उक्त लिखत/इकरारनामा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी (void abinitio) है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की विनम्र राय में विचारण न्यायालय द्वारा मामले में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप विचारणीय मूल बिन्दु बाबत साक्ष्य-सबूत का विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए तर्कसंगत निष्कर्ष अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिनमें आलौच्य अपील स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाने का कोई औचित्य एवं आधार प्रकट नहीं होता है। अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 सितम्बर 2024 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओम प्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट

1. तखतसिंह पुत्र अचलसिंह के कायममुकामान-
   1.1. भंवरसिंह पुत्र तखतसिंह
   1.2. जसवन्तसिंह पुत्र तखतसिंह
   1.3. रूपकंवर पत्नी तखतसिंह
   1.4. पवनकंवर पुत्री तखतसिंह
2. गुमानसिंह पुत्र अचलसिंह
3. लखसिंह पुत्र अचलसिंह
4. दलपतसिंह पुत्र अचलसिह के कायममुकामान-
   4.1. चन्द्रसिंह पुत्र दलपतसिंह
   4.2. स्वरूपसिंह पुत्र दलपतसिंह
   4.3. गंगाकंवर पुत्री दलपतसिंह
   4.4. रूपकंवर पत्नी दलपतसिंह
5. मोहनसिंह पुत्र अचलसिंह के कायममुकामान-
   5.1. पदमकंवर पत्नी मोहनसिंह
   5.2. हीरसिंह पुत्र मोहनसिंह
   5.3. देवीसिंह पुत्र मोहनसिंह
   5.4. कंवरसिंह पुत्र मोहनसिंह
   5.5. हवाकंवर पुत्री मोहनसिंह
6. भंवरसिंह पत्नी गजेसिंह
7. कल्पना पत्नी भीमसिंह

   निवासी हापासर, तहसील सेखाला,जिला जोधपुर ग्रामीण

ब

ना

म

रेस्पोडेण्ट

1. ओमाराम पुत्र जालाराम
2. खेमाराम पुत्र जालाराम
3. पप्पाराम पुत्र जालाराम
4. गिरधर पुत्र जालाराम
5. गुलाब पुत्र जालाराम (अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता जालाराम)
6. जालाराम पुत्र आदूराम

   निवासी ग्राम भाण्डू चारणान तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
7. राजस्थान सरकार

   जरिये तहसीलदार सेखाला जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 सितम्बर 2024 न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर राजस्व वाद संख्या 2019/00027 तखतसिंह व अन्य बनाम ओमाराम आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 05 नवम्बर 2024 बहाजरी अधिवक्ता श्री रोशनलाल मिनजानिब अपीलाण्ट्स एवं अधिवक्ता श्री महेश मेहता एवं राजकीय अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी मिनजानिब रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि समस्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की विनम्र राय में विचारण न्यायालय द्वारा मामले में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप विचारणीय मूल बिन्दु बाबत साक्ष्य-सबूत का विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए तर्कसंगत निष्कर्ष अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिनमें आलौच्य अपील स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाने का कोई औचित्य एवं आधार प्रकट नहीं होता है। अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 सितम्बर 2024 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

... निरन्तर

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रूपये ---------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसख्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 05 नवम्बर 2024 को जारी किया गया।

(ओम प्रकाश विश्नोई) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओम प्रकाश विश्नोई) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर